आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2019–20/ 869 दिनांक : 20/01/20

छात्रा स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित राजकीय एवं वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं से निम्नलिखित योजनाओं में विभागीय वेबसाईट http://hte.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन आंमत्रित किये जाते है। विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	छात्रवृति का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (पूर्व में मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से संचालित)	2019–20	21.10.2019	08.02.2020
2	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना	2019–20	21.10.2019	08.02.2020

आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा–निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। योजनाओं से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट http://hte.rajasthan.gov.in/ के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध हैं।

जिन छात्राओं को उनके महाविद्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहें हैं। वे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया हैं। वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राऐं ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगीं। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

जिन छात्राओं ने पूर्व में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन कर दिया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

d:\scholarship\scheme\kalibai 2019-20\kalibai scooty 2019-20.docx

Scanned by CamScanner